

14/07/15 ROOPALI PANDEY
Asst. Manager

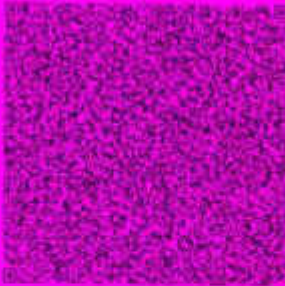


सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Certificate No. : IN-UP01226651886443N
Certificate Issued Date : 22-Jul-2015 01:05 PM
Account Reference : SHCIL (FI)/ upshcil01/ QAISERBAGH/ UP-LKN
Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUPSHCIL0101476459950201N
Purchased by : DRIZZLE CONSTRUCTION PVT LTD
Description of Document : Article 23 Conveyance
Property Description : BHUKHAND NO.14/GH-11(D), VRINDAVAN YOJANA, LUCKNOW,
Consideration Price (Rs.) : 8,16,00,000
(Eight Crore Sixteen Lakh only)
First Party : UTTAR PRADESH AWAS EVAM VIKAS PARISHAD LUCKNOW
Second Party : DRIZZLE CONSTRUCTION PVT LTD
Stamp Duty Paid By : DRIZZLE CONSTRUCTION PVT LTD
Stamp Duty Amount(Rs.) : 57,00,000
(Fifty Seven Lakh only)



.....Please write or type below this line.....



आवन्टी



सप आवास आयुक्त
वृन्दावन योजना, लखनऊ

WN 0001955738



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BF 150895

0 2 JUL 2015

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
ग्रुप हाउसिंग मूखण्ड के लिए किराया-किश्त कय किरायेदारी का अनुबन्ध

यह अनुबन्ध आज दिनांक 24 माह 07 द हज़ार 2015 को उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965 के अधीन संगठित उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद जिसका प्रधान कार्यालय लखनऊ में है और जिसका कार्य उसके आवास आयुक्त के जिसे एतदमर्यादात 'रवामी' कहा गया है, जिस पद के अन्तर्गत जब तक कि कोई बात प्रसंग से असंगत न हो, उसका उत्तराधिकारी या समनुदेशिनी भी है या जिसका तात्पर्य उसके उत्तराधिकारी या समनुदेशिनी भी है।

कमरा: 2 पर

आवन्ती

उप आवास आयुक्त
वृन्दावन योजना, लखनऊ



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BF 150894

01 JUL 2017

(2)

माध्यम से होता है। एक पक्ष और श्रीमती सुनीता पत्नी श्री संजय कुमार सिंह निवासी-सी-146, राजाजीपुरम, लखनऊ एवं कु0 रिया सिंह पुत्री स्व0 श्री इन्द्रवीर सिंह निवासी-207/71का, हेल्थ स्क्वायर जगत नारायण रोड, शिक्षा भवन के सामने लखनऊ द्वारा फर्म डिजल कन्स्ट्रक्शन प्रा0लि0 रजिस्टर्ड आफिस प्रथम तल, शालीमार टावर विभूतिखण्ड, गोमती नगर, लखनऊ द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि एवं निष्पादक के रूप में श्री आशीष कुमार उपाध्याय पुत्र श्री रामशिरामणि उपाध्याय पता-703, स्कोटिया टावर औरमेक्स हाइट अपार्टमेंट विभूति खण्ड गोमती नगर, लखनऊ जिसे एतत्पश्चात् किराया-किश्त कंता कहा गया है और जिस पद के अन्तर्गत जब तक कि प्रसंग या अर्थ से कोई बात असंगत न हो, इसमें एतत्पश्चात् यथा उपबन्धित अनुमोदित नैन निर्देशित और उसके न होने पर उसके उत्तराधिकारी, निष्पादक प्रशासक, विधिक प्रतिनिधि और अनुज्ञाप्राप्त समनुदेशित भी है, दूसरे पक्ष के बीच किया गया।

चूँकि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की एक गुप्त हाउसिंग भूखण्ड आवंटन योजना के अधीन किराया-किश्त क्रय योजना के अधीन किराया किश्त कंता ने स्वामी से किराया किश्त क्रय योजना के अधीन एक गुप्त हाउसिंग भूखण्ड का आवंटन करने के लिये पृथक रूप से आवेदन किया है और स्वामी ने एतत्पश्चात् निर्धारित निबन्धन और शर्तों पर किराया-किश्त कंता को भूखण्ड का आवंटन करने के लिए आवंटित करने की सहमति दे दी है।

और चूँकि किराया-किश्त कंता ने रु0 1,71,82,920.00 (शब्दों में केवल रु0 एक करोड़ इक्कत्तर लाख ब्यासी हजार नौ सौ बीस मात्र) का भुगतान प्रथम किश्त के रूप में कर दिया है जिसमें पंजीकरण की जमा बयाना धनराशि सम्मिलित है।

कनरा 3 पर

उपे आवास आयुक्त

Handwritten signature

Handwritten text: ...

Handwritten text: ...

Handwritten text: ...

Handwritten text: ...

Handwritten text: ...

Handwritten text: ...

Handwritten text: ...



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AS-358350

(3)

कृषक पुप हाउसिंग भूखण्ड सं० 14/GH-11(C) का कुल मूल्य रु० 8,16,00,000.00 (रु० आठ करोड़ सोलह लाख मात्र) जिसका आधा रु० 4,08,00,000.00 (रु० चार करोड़ आठ लाख मात्र) होता है। आवंटन द्वारा यदि किराया का नियमित भुगतान नहीं किया जाता है तो उसमें नियमानुसार ब्याज/दण्ड ब्याज भी देय होगा।

अब यह विलेख इस बात का सक्षी है कि स्वामी एतद्वारा किराया-किश्त क्रेता से प्रसविदा करता है और सहमत है और किराया-किश्त भी एतद्वारा स्वामी से निम्नलिखित रीति से प्रसविदा करता है और सहमत है अर्थात् ।

1. किराया-किश्त क्रेता को पुप हाउसिंग भूखण्ड के रूप में सम्पत्ति का जिसकी संख्या 14/GH-11(C) है और जो वृन्दावन योजना संख्या-4 लखनऊ में सेक्टर संख्या-14 में स्थित है। और जिसे अधिक स्पष्ट करने के लिये इसमें आगे दी गयी अनुसूची-एक में सीमाओं के साथ अधिक विशिष्ट रूप से वर्णित किया गया है, कब्जा दिया जायेगा।

2. किराया-किश्त क्रेता सक्ता सम्पत्ति किरायेदार के रूप में निम्नलिखित शर्तों के अधीन 53 (मासिक) की एक नियत अवधि तक ग्रहीत करेगा जो वर्ष दो हजार पन्द्रह के अगस्त-15 मास के प्रथम दिनांक से प्रारम्भ होगी और वर्ष 2019 के दिसम्बर मास के अन्तिम दिनांक को समाप्त होगी-

(क) किराया-किश्त-क्रेता रु० 18,45,558.00 केवल (रु० अट्ठारह लाख पैतालीस हजार पांच सौ अट्ठावन मात्र) की मासिक किश्त की किसी मांग की प्रतीक्षा किए बिना उसी मास में जिससे मासिक किश्त देय हो जाये प्रत्येक मास के प्रथम दिनांक से त्रैमास के अन्तिम दिनांक तक स्वामी के कार्यालय में या निर्दिष्ट स्थान पर भुगतान करेगा ऐसी प्रथम किश्त दिनांक 01.08.2015 से दिनांक 31.08.2015 तक जमा करना है। जिसे प्रथम किश्त के रूप में समझा जाये और ऐसी अगामी भुगतान वर्ष 2015 के मास सितम्बर 2015 या उसके पूर्ण प्रत्येक कैलेंडर मास के तुरन्त बाद किराया किश्त क्रय की अवधि तक देय हो जाय या भुगतान योग्य हो जाय।

क्रमशः 4 पर

[Signature]

उप आवास आयुक्त
वृन्दावन योजना

4122 SA-110 215 1/2



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AS 358349

(4)

ख. किराया-किश्त के आवंटन की योजना में यथा निर्धारित नगरपालिका के या अन्य प्रकार के सभी करों, फीस, प्रभार निर्धारित कर ऐसे अन्य सदग्रहणकी धनराशि का, चाहे वह किसी भी प्रकार की हो, जो स्थानीय निकाय द्वारा या राज्य या केन्द्रीय सरकार द्वारा या किसी अन्य प्राधिकृत अभिकरणद्वारा उसके सम्बन्ध में भू-स्वामी या किरायेदार को एतद्वारा किराये परदी गयी उक्त सम्पत्ति पर लगाई गयी हो, प्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध प्राधिकारियों को भुगतान करेगा। किराया-केता-स्वामी को सम्पत्ति कर, जल प्रभार, सीवर व्यवस्था के प्रभार का, जैसा कि स्वामी द्वारा समय-समय पर उदग्रहीत किया जाय, भुगतान करेगा। परन्तु किराया-किश्त केता की ओर से ऐसा भुगतान न किये जाने की दशा में स्वामी का ऐसी देय धनराशि को भू-राजस्व के बकाये के रूप में या ऐसी अन्य रीति से जो विधि संगत हो, वसूल करने और उसे किश्त के बकाये के रूप में मानने की शक्ति होगी।

ग. किराया-किश्त केता उक्त सम्पत्ति के साथ-साथ सम्भरण, जल निस्सारण, विजली और किन्हीं ऐसी अन्य सेवाओं से सम्बन्धित उसके प्रतिष्ठानों की मरम्मत (जिस पद के अन्तर्गत समान्द, और आवश्यक वार्षिक नीतरी और बाहरी रंगाई और पुताई, सफाई भी)। स्वामी के या ऐसे व्यक्ति के जिसे स्वामी इस प्रयोजनार्थ नियुक्त करे, समाधानप्रद रूप से स्वयं अपने खर्च पर करायेंगे और उसे समुचित रूप से ठीक दशा और रिश्ति में रखेंगे।

क्रमशः 5 पर

शुभ
आवन्ती

सपे आवास आयुक्त
वृन्दावन योजना, लेखनक


 ०२०१ ०१६ ६/१०/२०१७ १००० रु.



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AS 358348

(5)

घ. किराया-किस्त कंता स्वामी की लिखित अनुमति के बिना उक्त सम्पत्ति के भीतर किसी भी प्रकार का ब्यापार या कारोबार नहीं करेगा या करने की अनुमति नहीं देगा या उसका आवासीय उपयोग से गिन किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग करने की अनुमति नहीं देगा या उसमें कोई ऐसा कार्य या ऐसी कोई बात नहीं करेगा या करने देगा जो स्वामी या उसी कालोनी के अन्य ग्रुप हाउसिंग भूखण्डों के अध्यास्थियों की या एजेंसियों की राय में लोक कण्टक हो और जो उस प्रयोजन के अनुरूप न हो जिसके लिये योजना बनाई गई।

ड. किराया-किस्त कंता एतद्वारा स्वीकृत अवधि के दौरान सभी युक्तियुक्त समय पर स्वामी या स्वामी द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किन्हीं व्यक्तियों को उक्त सम्पत्ति में और उस पर प्रवेश करने की मरम्मत की स्थिति का निरीक्षण करने की अनुमति देगा और यदि ऐसा निरीक्षण करने पर स्वामी को यह प्रतीत हो कि कोई साम्प्रतिक या विशेष मरम्मत आवश्यक है तो स्वामी किराया-किस्त कंता के खर्च पर कर वा सकता है और किराया-किस्त कंता एतद्वारा स्वामी को ऐसी धनराशि का भुगतान करके जिसे स्वामी (जिसका दिनिश्चय अन्तिम होगा) इस निमित्त नियत करे, ऐसे खर्च की प्रतिपूर्ति करने की सहमति देता है।

च. किराया-किस्त कंता स्वामी द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को उक्त सम्पत्ति में उस पर ऐसे कर्मचारों के साथ प्रवेश करने की अनुमति देगा जो पाइप - लाइन, सीवर लाइन या कोई विद्युत आपूर्ति लाइन या उससे सम्बन्धित किसी कार्य के लिये कोई सर्विस लाइन बिछाने, उसकी मरम्मत करने या उसी निश्चित स्थान पर लगाने के प्रयोजन के साथ-साथ उक्त सम्पत्ति में बिछाई गयी किसी सर्विस लाइन से किन्हीं अन्य सम्पत्ति को जोड़ने के प्रयोजन के लिये आवश्यक हो।

क्रमशः 6 पर

आवन्टी

उप आवास आयुक्त
वृन्दावन योजना, लखनऊ

04-02-2016 10:10 AM

10/12/2019

100 04 010 10000 1000 1000 1000 1000

222

~~Handwritten signature~~

- ①. $\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \dot{x}^2 + \frac{1}{2} \dot{y}^2 \right) = \frac{1}{2} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \dot{x}^2 + \frac{1}{2} \dot{y}^2 \right)$



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AS 358347

(6)

छ.किराया-किश्त क्रेता स्वामी की लिखित पूर्वानुमति के बिना और सम्बद्ध प्राधिकारी को लिखित स्वीकृति या अनुमति के बिना भी उक्त सम्पत्ति में कोई परिवर्तन या परिवर्द्धन नहीं करेगा या करने की अनुमति नहीं देगा।

परन्तु स्वामी अपने विवेकानुसार किसी परिवर्तन या परिवर्द्धन, चाहे जो भी हो, के लिये ऐसी अनुमति देने से इन्कार कर सकता है और उस निमित्त उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

ज. किराया- किश्त क्रेता, स्वामी की लिखित पूर्व सहमति के बिना जिससे वह अपने स्पष्ट विवेकानुसार अस्वीकृत करने का हकदार होगा, उक्त सम्पत्ति के सम्पूर्ण या किसी भाग का विक्रय, अन्तरण, समनुदेशन नहीं करेगा या कब्जे से अन्यथा अलग नहीं होगा।

परन्तु सहमति दिये जाने की दशा में सम्पत्ति का ऐसा प्रत्येक अन्तरण समनुदेशन केवल इस किरायेदारी की शेष अवधि के लिए होगा और यथास्थिति अन्तरिती या समनुदेशिती इसमें दिये गये निबन्धनों और शर्तों से आबद्ध होगा और उसकी सभी बातों के लिये स्वामी के प्रति उत्तरदायी होगा।

परन्तु यह भी कि ऐसा कोई भी समनुदेशन या अन्तरण वैध या अनुमन्य नहीं होगा जहां समनुदेशिती या अन्तरिती कोई ऐसा व्यक्ति है जो योजना में यथा उपबन्धित पात्रता की अपेक्षाओं को पूरा न करता हो।

झ.किराया-किश्त क्रेता इस किरायेदारी की अवधि के दौरान इसमें नीचे दी गयी अनुसूची-दो में दिये गये किरायेदारी सम्बन्धी अनुबन्धनों का पालन करेगा।

ञ.किराया-किश्त क्रेता किसी भी स्तर पर किन्हीं भी कारणों से चाहे जो भी हो, जैसा कि योजना में सम्पत्ति के विभव के सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से उपबन्धित है, सम्पत्ति के बारे में ऐसी शिकायत करने से विरत रहेगा जिससे आपत्तियां उठें या बाधे प्रस्तुत किये जायें।

क्रमशः 7 पर

Shush

उम ओवास आयुक्त
वन्दार्वन योजना, लखनऊ



2010.10.15 16:20:13 2010.10.15 16:20:13

2010.10.15 16:20:13 2010.10.15 16:20:13



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AS 358346

(7)

ड.किराया-किश्त क्रेता इस योजना के अधीन उस घर आने वाले ऐसे सभी उत्तरदायित्वों का निर्वाहन करेगा जो इस विलेख का अंग समझे जायेंगे और जिसके बारे में इस अनुबन्ध-पत्र के पक्षकारों के बीच एतद्वारा सहमति है।

उक्त सम्पत्ति में किराया-किश्त क्रेता के हित के विरुद्ध कोई दावा नहीं किया जा सकता है, फिर भी किराया-किश्त क्रेता एतद्वारा स्वामी को किसी ऐसी सम्भाव्यता के सम्बन्ध में क्षतिपूर्ति करने का वचन देता है।

ड.किराया-किश्त क्रेता किसी भी प्रकार की दुर्घटना के फलस्वरूप उक्त सम्पत्ति को क्षति पहुंचने या उसके नष्ट होने की दशा में एतद्वारा स्वामी को किसी भी उत्तरदायित्व से मुक्त करना है। परन्तु इस अनुबन्ध के प्रवृत्त रहने तक किराया-किश्त क्रेता का यह कर्तव्य होगा कि वह इस बात का ध्यान रखे कि नुस्खे, उपयोग के कारण उचित टूट-फूट को छोड़कर, उसी दशा में बना रहे जिसमें वह प्रारम्भ में सौंपा गया था किसी प्राकृतिक कारण से या आग लग जाने से क्षति होने की दशा में किराया-किश्त क्रेता का यह कर्तव्य होगा कि वह भवन को पुनः उसकी मूल दशा में लाने के लिये आवश्यक गरम्मत कराये। भवन का आग लग जाने के जोखिम के प्रति परिषद द्वारा अनुमोदित बीमा कम्पनी से अतिवार्य रूप से बीमा कराया जायेगा और लग जाने से क्षति होने की दशा में परिषद का दायित्व उस सम्बन्ध में परिषद को मिलने वाली बीमा की धनराशि तक ही सीमित होगा।

क्रमशः 8 पर

आवन्ती

उपे श्रीवास आयुक्त
वृन्दावन योजना, लखनऊ

✓

2013 213 116+217-140. 2165

9402/1-14 2165 2165
2165 2165
2165 2165 2165 2165 2165
2165 2165 2165 2165 2165
2165 2165 2165 2165 2165
2165 2165 2165 2165 2165

६. किराया-किश्त केंता अपने जीवन काल में लिखित रूप से ऐसे नाम निर्देशिनी को, जिसे वह उक्त सम्पत्ति में, जिससे उसकी मृत्यु हो जाने के स्थिति में भूखण्ड/भवन के मावी स्वामित्व में उसका अधिकार भी सम्मिलित है, अपना अंश या हित अन्तर्हित करना चाहें, नाम निर्दिष्ट करेगा और उसे आवास आयुक्त के पास जमा कर देगा। स्वामी किराया-किश्त केंता की मृत्यु का प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर तदनुसार अन्तरण करेगा जो स्वामी और सार्वजनिक निकायों के प्रति किराया-किश्त केंता के समस्त विद्यमान दायित्वों और बंधता के अधीन होगा। इस प्रकार किये गये नाम निर्देशन को विखण्डित किया जा सकता है और किराया-किश्त केंता उपर्युक्त रीति से उसके स्थान पर दूसरा नाम निर्देशन कर सकता है। परन्तु किराया-किश्त केंता द्वारा ऐसा नाम निर्देशन न किये जाने पर किराया-किश्त केंता के वरिस/वरिसों का स्वामी द्वारा इस विलेख के हिताधिकारी/हिताधिकारियों के रूप में स्वीकार किया जायेगा।

७. किराया-किश्त केंता सभी देयों का जिनका भुगतान इस विलेख के अनुसरण में उसके द्वारा किया जाना अपेक्षित है, पूरा और नियमित भुगतान करेगा किशनों के भुगतान के लिये उनके देय होने के दिनांक से एक मास की छूट दी जायेगी।

वह किश्त ने सम्मिलित साधारण ब्याज के अतिरिक्त प्रदेशन पत्र में उल्लिखित 17 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से दण्ड ब्याज के भुगतान का देनदार होगा। यदि भुगतान छूट की अवधि के भीतर न किया जाय तो किराया-किश्त केंता तदनुसार किशनों के वस्तुतः देय होने के दिनांक से निर्धारित 17 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के भुगतान का देनदार होगा लगातार तीन से अधिक किशनों का भुगतान करने में व्यक्ति कम होने की दशा में किरायेदारी समाप्त समझी जायेगी और केंता को बेदखल किया जा सकेगा। स्वामी को देय समस्त बकाया धनराशि को भू-राजस्व के रूप में या ऐसी अन्य रीति से, जिसका विधि समर्थन करे वसूल किया जा सकेगा। किराया किश्त का जल सम्पत्ति कनेक्शन तथा विद्युत कनेक्शन भी विच्छेदन किया जा सकेगा तथा निर्धारित शर्तों प्रकिया से पुनः संयोजन किया जा सकेगा।

तथा यदि किराया-किश्त केंता सम्पत्ति या साझा भावा या साझा सेवाओं का उपयोग इस ढंग से करता है कि उसी क्षति पहुँचे या उसका शाय हो या गलत कार्य के लिये उसका उपयोग हो, तो किराया-किश्त केंता ऐसी क्षति, क्षय होने या गलत उपयोग किये जाने के लिये स्वामी या पंजीकृत अभिकर्षण की तत्तसम्बन्धी प्रभार का भुगतान करेगा।

थयदि किराया-किश्त केंता किराया-किश्त कय की अवाधे के समाप्त होने के पूर्व एतद्वारा स्वीकृत किरायेदारी को स्वतः समाप्त करना चाहें तो वह इसके लिये स्वामी को तीन महीने की नोटिस देगा और स्वामी सभी देयों के साथ-साथ इस अनुबन्ध के अनुसार किराया-किश्त केंता द्वारा किरायेदारी को इस प्रकार समाप्त के कारण होने वाली क्षति की वस्तु करेगा।

द इसमें इसके पूर्व दी गयी किसी बात के होते हुये भी, यदि कोई जांच की जायगी तो यदि आवश्यक हो, सम्बद्ध पक्षों की सुनवाई के पश्चात् यदि स्वामी को राय में जिसका विनिश्चय अन्तिम और आध्यकर होगा, किराया-किश्त-केंता द्वारा ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड के आवंटन के लिये उसके द्वारा दिये गये आवंटन पत्र में कोई गलत बयान किया गया हो या किसी सारवान तथ्यों का छिपाया गया हो तो स्वामी के लिये किराया-किश्त केंता को बेदखल करना और सम्पत्ति का कब्जा लेना विधि पूर्ण होगा और तब यह अनुबन्ध समाप्त समझा जायेगा। और किराया-किश्त केंता द्वारा इस प्रकार जमा की गयी धनराशि का स्वामी को समपहरण हो जायेगा।

८. स्वामी एतद्वारा सहमत है कि किराया-किश्त केंता इस विलेख के अनुसार उसके द्वारा देय सभी भुगतान करों और इसमें दी गयी सभी शर्तों को पूरा करके और उनका पालन करके उक्त अवधि के दौरान स्वामी या उसके अधीन विधिपूर्वक दावा करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा किसी विधिपूर्ण विज या बाधा के सिवाय उक्त सम्पत्ति को किरायेदार के रूप में शान्तिपूर्वक प्रहीत करेगा और उसका उपयोग करेगा।

(3)

इसमें इसके पूर्व दी गयी किसी बात के होते हुये भी किरायेदार एतद्वारा किराया-किस्त कय के मूल में जो परिषद द्वारा निश्चित किया गया हो, भूमि के प्रतिकार में दृष्टि होने के कारण या ठेकेदार के न्यायालय में जाने के परिणाम स्वरूप ठेकेदार के बिल में वृद्धि होने के कारण या ऐसी अन्य आकस्मिकता के कारण जिसका एतद्वारा विनिश्चय लिया जाए, कोई वृद्धि होने से उत्पन्न भुगतान करने के लिए सहमत है ऐसा भुगतान उक्त में इस प्रकार वृद्धि की आनुपातिक धनराशि होगी जो परिषद द्वारा निश्चित की जाएगी और किरायेदार के लिए अन्तिम और बाध्यकर होगी।

उक्त भूखण्ड का किराया-किस्त क्रेता एतद्वारा आठवां के दिनांक से 5 वर्ष के भीतर भूखण्ड पर भूदान का निर्माण करने और निर्माण कर्त पूरा करने के लिए सहमत है जिसमें विफल रहने पर परिषद द्वारा भूमि का पुनर्ग्रहण किया जा सकेगा। किराया-किस्त क्रेता निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व भवन का नक्शा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित कराएगा।

3. स्वामी एतद्वारा किराया-किस्त क्रेता को किराया-किस्त कय की अवाधि जो रूग्नाधि के पश्चात विहित प्रपत्र में उसके सध हस्तान्तरण विलेख निष्पादित करके उक्त सम्पत्ति का अन्तरण करने के लिए सहमत है, एतत्तु यह कि उसने ऐसे निष्पादन के पूर्व स्वामी को और सार्वजनिक निकायों को, यदि कोई हो, सभी देवों का भुगतान कर दिया हो। किराया-किस्त क्रेता इसके बाद किरायेदार नहीं रहेगा और पैरा 5 में ध्या उल्लिखित निष्पादित किये जाने वाले हस्तान्तरण विलेख के उपबन्धों के अधीन रहते हुये सम्पत्ति का पट्टेदार के रूप में स्वामी हो जायेगा।

4. हस्तान्तरण विलेख सान्त्वित: स्वामी द्वारा किराया-किस्त कय की अवाधि जो सम्पत्ति के पश्चात निष्पादित किया जायेगा, फिर भी यदि किराया-किस्त क्रेता ने इसके पूर्व किरायेदारों समारा करने और सम्पत्ति का स्थानित उसमें निहित करने के लिए आवेदन किया हो और यदि किराया-किस्त क्रेता स्वामी द्वारा, जिसका विनिश्चय अन्तिम और बाध्यकर होगा) की गई सगणना के अनुसार पूरा भुगतान कर देता है, तो स्वामी हस्तान्तरण-विलेख निष्पादित करेगा।

5. यदि उक्त विनियमों और उनके अधीन किये गये अनुबन्ध की शर्तवाली के निर्दहन के या अनुबन्ध के अनुसार किये गये या किये जाने के लिए प्रस्तावित किसी विनिश्चय के बारे में कोई विवाद या मतभेद उत्पन्न हो तो अवास आवृत्त विनिश्चय करेगे और किराया-किस्त क्रेता के लिए संयुक्त रूप से या पृथक्-पृथक् ऐसा विनिश्चय अन्तिम और बाध्यकर होगा।

अनुसूची-1

वृन्दवन योजना तखानक स्थित निर्माण खण्ड-3 के तनी गुप्त हाउसिंग भूखण्ड जितकी संख्या 14/GH-11(C) एवं भूमि का क्षेत्रफल 3200.00 वर्गमी० है। सम्पत्ति की सीमा निम्नलिखित है:-

उत्तर	- गुप्त हाउसिंग भूखण्ड संख्या 14/GH-7	उत्तर	40.00	मीटर
दक्षिण	- 45.00 मी० चौड़ी सड़क	दक्षिण-	40.00	मीटर
पूर्व	- 12.00 मी० चौड़ी सड़क	पूर्व-	80.00	मीटर
पश्चिम-	गुप्त हाउसिंग भूखण्ड संख्या 14/GH-12	पश्चिम-	80.00	मीटर

इस गुप्त हाउसिंग भूखण्ड के किराया किस्त कय अनुबन्ध पर परिषद की ओर से डा० अनिल कुमार, उप आवास आयुक्त ने तथा श्रीमती सुनीता पत्नी श्री संजय कुमार सिंह एवं कु० रिचा सिंह पुत्री स्व० श्री इन्द्रवीर सिंह द्वारा फर्म ड्रिजल कन्स्ट्रक्शन प्रा० लि० द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि एवं निष्पादक के रूप में श्री आशीष कुमार उपाध्याय पुत्र श्री रामशिवमणि उपाध्याय गुप्त हाउसिंग भूखण्ड सं० 14/GH-11(C) ने स्वयं स्वेच्छा से हस्ताक्षर किये हैं।



उप आवास आयुक्त
वृन्दवन योजना तखानक

विक्रय अनुबंध विलेख (कब्जा)

81,600,000.00 17,182,920.00 10,000.00 40 10,040.00 2,000

प्रतिफल मालियत आगम धनराशि फॉय रजिस्ट्री नकल व प्रति शुल्क योग शब्द लगभग
श्री ड्रीजल कान्स प्रा० लि० द्वारा अधि,हस्ता,आशीष कुमार उपाध्याय
राम शिरोमणि उपाध्याय

व्यवसाय व्यापार

निवासी 703 स्कोटिया टावर ओमेक्स हाइट अपार्टमेंट विभूतिखण्ड गोमती नगर 1
अन्धारी प्रा

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 25/7/2015 समय 1:01PM
वजे निबन्धन हेतु पेश किया।



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

एस.बी.सिंह
उप निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ

25/7/2015

निष्पादन लेखपत्र दंड सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रु. प्रत्येकानुसार उक्त
विक्रेता

क्रेता

इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि इस लेखपत्र का निष्पादन
श्री उ० प्र० आ० वि०.प० द्वारा डॉ० अनिल कुमार उप आ०
ने अपने पद के अधिकार से किया है इसलिये उनकी उपस्थिति
और हस्ताक्षरों की आवश्यकता नहीं है, और लेखपत्र
रजिस्ट्रीकरण के लिए स्वीकार किया गया।

श्री ड्रीजल कान्स प्रा० लि० द्वारा अधि,हस्ता,आशीष
कुमार उपाध्याय
राम शिरोमणि उपाध्याय
पेशा व्यापार
निवासी 703 स्कोटिया टावर ओमेक्स हाइट अपार्टमेंट
विभूतिखण्ड गोमती नगर लखनऊ



(10)

अनुसूची-2

इस अनुबन्ध पत्र पर इसके साक्ष्य में इसके पक्षकारों के उपरोक्त दिनांक, मास और वर्ष को अपने हस्ताक्षर किए :-

स्थान लखनऊ

दिनांक

प्रथम साक्षी हस्ताक्षर

1-हस्ताक्षर : 

2-नाम : 

3-पता :

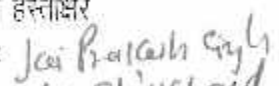
करवत दे



किराया किस्त केता का
(सुपादय हस्ताक्षर और पता)

आवन्टी

द्वितीय साक्षी हस्ताक्षर

1-हस्ताक्षर : 

2-नाम : s/o Shivchar

3-पता : Durgawati Colony Nilmath
Lucknow

1- हस्ताक्षर:-

2-नाम श्रीमती सुनीता पत्नी श्री संजय कुमार सिंह :

निवासी-सी-146, राजाजीपुरम, लखनऊ एवं कु0 रिचा सिंह पुत्री स्व0 श्री इन्द्रवीर सिंह निवासी-207/71का, हेल्थ स्वचायर जगत नारायण रोड, शिक्षा भवन के सामने लखनऊ द्वारा फर्म ड्रिजल कन्स्ट्रक्शन प्रा0लि0 रजिस्टर्ड आफिस प्रथम तल, शालीमार टावर विभूतिखण्ड, गोमती नगर, लखनऊ द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि एवं निष्पादक के रूप में श्री आशीष कुमार उपाध्याय पुत्र श्री रामशिरोमणि उपाध्याय पता-703, स्कोटिया टावर औमेक्स हाइट अपार्टमेंट विभूति खण्ड गोमती नगर, लखनऊ

प्रथम साक्षी

1-हस्ताक्षर : 

2-नाम :

3-पता :

परिषद की ओर से एवं उसके लिए


उप आवास अधिकृत
इन्द्रावन योजना, लखनऊ

द्वितीय साक्षी

1-हस्ताक्षर : 

2-नाम :

3-पता :

किरायेदारी सम्बन्धी उपबन्ध

(1) यह उपबन्ध किराया-किस्त केता पर लागू होंगे जो और जिसके साथ-साथ उसके प्लैट/भूखण्ड/भवन का प्रत्येक उपयोगकर्ता संयुक्त रूप से पृथक-पृथक उनका पालन करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

(2) किराया-किस्त केता अपने प्लैट/भवन/भूखण्ड के भीतर, कूड़े, रद्दी कागजों, बुहारन, रसोईघर और भोजन की अपशिष्ट सामग्री कूड़ा करकट और इसी प्रकार की वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए एक पात्र (कूड़ादान) रखेगा और प्रत्येक व्यक्ति ऐसी बेकार चीजों को एक ऐसे पात्र में डालेगा और कहीं अन्यत्र नहीं डालेगा।

(3) ऐसे पात्र में पड़ी हुई सामग्री को प्रतिदिन, उसे रस्ते में बिखराये बिना, इस प्रयोजन के लिए आरक्षित स्थान पर डालेगा।

(4) स्नानघर और शौचालय जैसी स्वच्छता सुविधाओं का उपयोग इस ढंग से किया जायेगा कि कोई नाली कूड़ा-करकट, रद्दी कागज, बुहारन या इसी प्रकार की चीजों से रुकने न पावे।

ने निष्पादन स्वीकार किया ।

जिनकी पहचान श्री सुरेश के, शैखर

पुत्र श्री राम औतार यादव

पेशा व्यापार

निवासी बी-34 से0 सी0 अलीगंज लखनऊ

व श्री सुरेश कुमार योजना सहा0 आ0 वि0 प0

पुत्र श्री

पेशा नौकरी

निवासी

ने की ।

पक्षधर भद्र सक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।



रजिस्ट्रार अधिकारी के हस्ताक्षर

एस.बी.सिंह
उप निबन्धक(प्रथम)
लखनऊ
25/7/2015

(5) किसी कूड़ादान या कचरा रखने की पेटी को किराया-किस्त कंता के फ्लैट/भवन/भूखण्ड के बाहर या गलियारे या रास्ते में नहीं रखा जायेगा।

(6) भूखण्ड के साझे के भाग खुले स्थान का उपयोग मूत्रालय के रूप में नहीं किया जायेगा।

(7) किराया-किस्त कंता के फ्लैट/भवन/भूखण्ड या साझा भाग के या सड़क के किसी भाग में कोई अपशिष्ट पदार्थ नहीं बिखेरा जायेगा और चारों ओर पास-पड़ोस को स्वच्छ और सुव्यवस्थित रखा जायेगा।

(8) फ्लैट/भवन/भूखण्ड के या कालोनी के किसी भाग का उपयोग खतरनाक, ज्वलनशील, या आपत्तिजनक सामग्री रखने या उसका भण्डार या ढेर लगाने के लिये नहीं किया जायेगा।

(9) भूखण्ड के किसी भाग में एक दुधरू गाय या बैर के अतिरिक्त किसी पशु या पक्षी को उस प्रयोजन के लिए उपयुक्त व्यवस्था किये बिना नहीं रखा जायेगा।

(10) प्रत्येक व्यक्ति इस बात का ध्यान रखेगा कि सम्पत्ति को कोई क्षति न हो या उसका क्षय न हो।

(11) प्रत्येक व्यक्ति इस बात की सावधानी रखेगा कि पानी का नल या उसकी फिटिंग पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और बिजली की लाइन और उसकी प्रतिष्ठापन को किसी से कोई बिगाड़ने न पाये।

(12) सम्पत्ति का दुरुपयोग जैसे साझा गलियारा, साझा रास्ता, सीढ़ियाँ, चबूतरा प्रवेश मार्ग बनाने के लिए नहीं किया जायेगा, न करने की अनुमति दी जायेगी।

(13) परिसर में कोई वाहन लाने वाला प्रत्येक व्यक्ति इस बात का ध्यान रखेगा कि निवासियों के निर्वाह आवागमन में कोई अवरोध उत्पन्न न हो।

(14) उपर्युक्त किसी भी अनुबन्ध का पालन न करना अनुबन्ध के निबन्धनों का उल्लंघन करना होगा और परिषद ऐसी उल्लंघन के लिए किराया-किस्त कंता के विरुद्ध उनके बीच निष्पादित अनुबन्ध के अधीन उसमें निहित शक्ति के अनुसार कार्यवाही करेगी।

(15) ग्रुप हाउसिंग भूखण्डों से सम्बन्धित सभी नियम व शर्तें जो समय-समय पर लागू हों, मान्य होंगी।

वृन्दावन योजना संख्या-4 लखनऊ में स्थित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड सं० 14/GH-11(C) एवं कुल क्षेत्रफल 3200.00 वर्ग मीटर है। जिलाधिकारी लखनऊ द्वारा वृन्दावन योजना लखनऊ हेतु निर्धारित भूमि दर रु० 22,500.00 एवं 45.00 मीटर चौड़ी सड़क एवं 12.00 मीटर चौड़ी सड़क पर भूखण्ड होने की दशा में रु० 10 प्रतिशत रु० 2,250.00 कुल रु० 24,750.00 प्रति वर्ग मीटर है। उक्त भूखण्ड लखनऊ-रायबरेली मुख्य मार्ग से 100 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। भूखण्ड में समाविष्ट भूखण्ड का क्षेत्रफल 3200.00 वर्ग मीटर की मालियत रु० 7,92,00,000.00 है। परिषद द्वारा आवंटित मूल्य रु० रु० 8,16,00,000.00 है।

शासनादेश सं० वि० क्र० नि० 5-2756/11-2008-500(115)-2007 दिनांक 30.06.2008 के अन्तर्गत 7% की दर से रु० 57,12,000.00 के स्टाम्प बनते हैं। अतः ई स्टैम्प प्रमाण पत्र नं० IN-UP01226651886443N, DATE:-22/06/2015 रु० 57,00,000.00 एवं स्टाम्प रु० 15,000.00 कुल स्टाम्प रु० 57,15,000.00 पर किराया किस्त क्रय किरायेदारी अनुबन्ध निष्पादित किया जा रहा है।

नोट— उत्तर प्रदेश शासन कर एवं निबन्धक अनुभाग-5 सं० नि० क्र० नि० 5-3757/11-2010-500(100)-2008 दिनांक 16-11-2011, द्वारा किस्त किरायेदारी अनुबन्ध पारिषद दर पर निष्पादित किया जा रहा है।

हस्ताक्षर

नाम—श्रीमती सुनीता पत्नी श्री सजय कुमार सिंह निवासी—सी-146, राजाजीपुरम, लखनऊ एवं कु० रिचा सिंहपुत्री स्व० श्री इन्द्रवीर सिंह निवासी-207/71का, हेल्थ स्क्वायर जगत नारायण रोड, शिक्षा भवन के सामने लखनऊ द्वारा फर्म डिजिटल कन्स्ट्रक्शन प्रा० लि० रजिस्टर्ड आफिस प्रथम तल, शालीमार टावर विभूतिखण्ड, गोमती नगर, लखनऊ द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि एवं निष्पादक के रूप में श्री आशीष कुमार उपाध्याय पुत्र श्री रामशिवोमणि उपाध्याय पता-703, स्कोटिया टावर औमेक्स हाइट अपार्टमेंट विभूति खण्ड गोमती नगर, लखनऊ

आवन्ती

AASPU0956F

(सह) अनिल कुमार

सम-अधीक्षक, वृन्दावन योजना, लखनऊ

ક્રેતા

Registration No. : 14476

Year : 2,015

Book No. : 1

0201 ડ્રીજલ કાન્સ પ્રા0 લિ0 દ્વારા અધિ,હસ્તા,આશીષ કુમાર સપાધ્યાય
રામ ચિરોમણિ સપાધ્યાય
703 સ્કોટિયા ટાવર ઓર્મેક્સ હાઇટ અપાર્ટમેન્ટ વિમૂલિચન્ડ ગોવતી ન
વ્યાપાર





OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER C.D. - 3

U.P. AVAS EVAM VIKAS PARISHAD

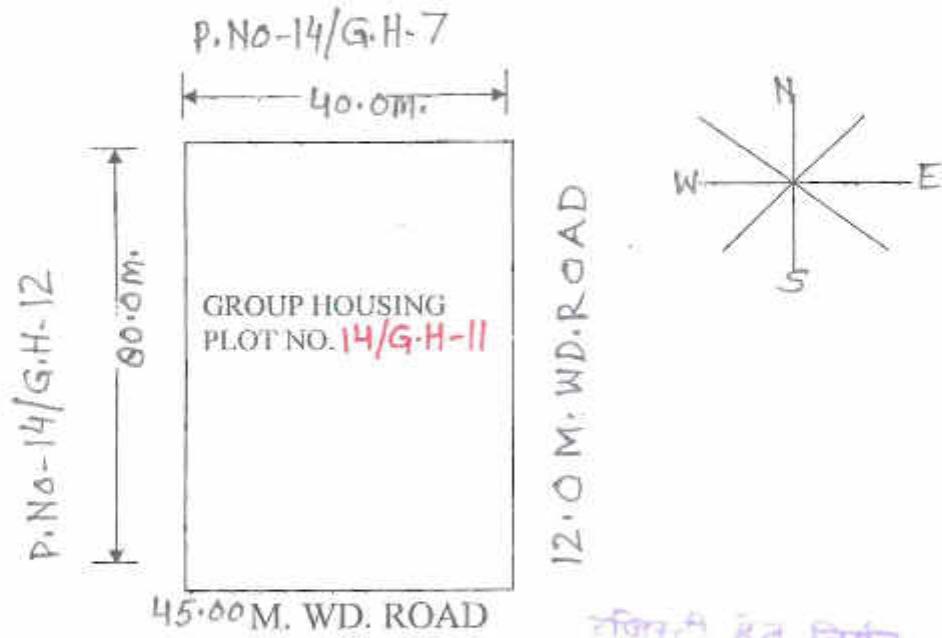
OFFICE COMPLEX, III FLOOR, 9A, VRINDAVAN SCHEME No.-2,
PART-2, RAI BAREILLY ROAD, LUCKNOW.

SITE PLAN OF GROUP HOUSING PLOT No. 14/G.H.-11 SECTOR-14
AT VRINDAVAN YOJNA No.4, LUCKNOW.

OWNER SRI. /SMT.

PLOT SIZE 40.00 M X 80.00 M

PLOT AREA 3200.00 SQ.M.



रजिस्ट्री हेतु निर्गत
क्र. 58 दि. 26/9/12


D/MAN


J.E.


A.E.


आवन्ती


उप आवास आयुक्त
वृन्दावन योजना, लखनऊ

एम.बी.सिंह
 उप निदेशक(प्रशम)
 नखनक
 25/7/2015

रजिस्ट्रार ऑफिस के इकाई

रजिस्ट्रार ऑफिस के इकाई

आज दिनांक 25/07/2015 को
 वही से 1 बिन्दु से 19328
 पर से 35 से 60 पर कामों 14476